



Anti-ragging Toll Free Helpline No.:-
UGC: 1800-180-5522
SPMC Bikaner: 1800-180-6223
www.spmcbkn.com
Principal_spmc@live.com

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर (राज.)।

कमांक:- एफ.35 (शैक्षणिक) सपआम /2020/203

दिनांक :- 25.01.2021

विषय:- रैगिंग जैसे अमानवीय कृत्य को रोकने हेतु परिपत्र।

मान्यवर,

आप सभी अभिभावकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी के सहयोग एवं प्रयास से एवं समस्त छात्रों के सौहार्दपूर्ण व्यवहार के कारण से ही हमारा महाविद्यालय परिसर रैगिंग-मुक्त रहा है। अतः वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवागंतुक छात्रों को रैगिंग मुक्त स्वच्छ वातावरण देने एवं महाविद्यालय परिसर से भलीभांति परिचित होने हेतु सभी सीनियर छात्रों को दिनांक 01.02.2021 से 7.02.2021 तक एक सप्ताह के अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया गया है। इस अवकाश अवधि में कोई भी सीनियर छात्र महाविद्यालय / छात्रावास परिसर में प्रवेश नहीं करेगा। कृपया आप सुनिश्चित करें कि आपका पुत्र/पुत्री अवकाश अवधि में महाविद्यालय/ छात्रावास परिसर में प्रवेश नहीं करे। चूंकि आप का पुत्र/पुत्री नवागंतुक 2020 बैच के विद्यार्थियों के सीनियर हैं अतः इन विद्यार्थियों के अपने जूनियर के प्रति अधिक जिम्मेदारी बनती है कि वे नये विद्यार्थियों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने अध्यापकों के सम्मुख मेल-मिलाप कर उन्हें रैगिंग के भय से मुक्त वातावरण प्रदान करें। अतः आप अपने पुत्र/पुत्री को समझावें कि अवकाश/परीक्षा के पश्चात् महाविद्यालय में पुनः उपस्थित होने पर वे अपने जूनियर से मित्रवत व्यवहार करें।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर के आदेशों एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के रैगिंग-निषेध विनियमवली 2009 की अनुपालना में रैगिंग रोकने से संबंधित बहुत से उपाय किये गये हैं किन्तु इन उपायों का मूर्त रूप देने के लिए आपका पूर्ण सहयोग अपेक्षित है।

चूंकि आपका पुत्र/पुत्री एवं आप अभिभावकगण भी इस महाविद्यालय परिवार का एक हिस्सा है अतः हम सभी का सामूहिक दायित्व है कि रैगिंग जैसी अमानवीय घटनाओं को रोकने के लिए पूर्ण प्रयास करें। अतः आप अपने पुत्र/पुत्री को अवगत करावें कि वह रैगिंग जैसी गतिविधियों में सम्मिलित नहीं हो अन्यथा दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध संलग्न नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी जिसकी परिणति उसके करियर की समाप्ति भी हो सकती है।

आप अपना व अपने पुत्र/पुत्री का रैगिंग विरोधी वार्षिक Online अभिकथन निम्नलिखित वेबसाइट पर भरकर उसकी हार्डकॉपी महाविद्यालय की शैक्षणिक शाखा में जमा करवायें (छात्रावासी विद्यार्थी अपने नाम का एक अलग अभिकथन छात्रावास अभिरक्षक को प्रस्तुत करें)।

Undertaking can be obtained from any of the two website:-

WWW.ANTIRAGGING.IN OR WWW.AMANMOVEMENT.ORG

आशा है, हम रैगिंग जैसी अमानवीय कृत्यों के प्रभाव को जड़ से मिटाने हेतु सामूहिक रूप से प्रयास करने के लिए संकल्पित रहेंगे।

पुनः सहयोग की अपेक्षा के साथ।

भवदीय,

(डॉ. एस.एस. राठौड)

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
एवं अध्यक्ष, रैगिंग विरोधी समिति
स.प.आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
बीकानेर।